कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 11 अ–82 / 19–20 / खटगढ़ / 211 / बैतूल दिनांक 6-1-2020 ~~– 12–2019~~

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जन का रकबा हे0 में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	आठनेर	खटगढ़	0.664	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई	निरगुड मध्यम परियोजना के पहुंचमार्ग हेतु भूमि का अर्जन

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	हुकुम पिता लक्ष्मण जाति कुन्बी नि0 जावरा	59	0.745	**0.068**
2	शैलेन्द्र पिता दशरथ जाति किराड निवासी माण्डवी	62	2.128	**0.049**
3	चिन्धु, फन्दया पिता आनंदराव जाति कुन्बी निवासी जावरा	57	2.553	0.175
4	वमनराव पिता डोमा, सखु, सीता, कुसुम पिता डोमा, गया बेवा डोमा, सिन्धु बेवा पाण्डूरंग, दुर्गादास पिता पाण्डूरंग, संध्या, जयश्री पिता पाण्डूरंग जाति कुन्बी सा0 देह	56/2	2.023	0.114
5	वच्छला बेवा नाथुराम, गणपतराव, मंगलमूर्ति पिता नाथुराम, ईमला, कमला, मंगला पिता नाथुराम जाति कुन्बी सा0 देह	56/6	2.023	0.129
7	नर्मदा पिता यादोराव,रामू पिता यादोराव, रेणुगा पतिा यादोराव, हरि पिता यादोराव, पार्वती बेवा शंकर, बुधराव, गुलाब, अशोक पिता शंकर, तारा, मीरा, पिता शंकर, कान्ता बेवा युवराज, उज्जवल पिता युवराज, कविता, सरिता, भावना, वन्दना,दिपिका पिता युवराज जाति कुन्बी सा0 देह	56/4	2.363	0.129
			11.835	0.664

1– चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि0 (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(तेजस्वी एस. नायक)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

6-1-2020

पृ0क0 11 अ–82/वर्ष 19–20 /खटगढ़/ 211 बैतूल दिनांक ~~–12–2019~~

प्रतिलिपिः–

1– उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2– संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3– कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भा/स) सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

5– प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7– तहसीलदार आठनेर की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल /ग्राम पंचायत में चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

8– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

अपर कलेक्टर एवं
प्र0अ0भू–अर्जन बैतूल